<u>गोण्डा पुलिस का ऑपरेशन ''साइबर कवच'' बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव हेतु गोण्डा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान....</u>

<u>साइबर क्राइम/ठगी से बचाव हेतु गोण्डा पुलिस द्वारा दिनांक 27.11.2024 से एक सप्ताह का व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है–</u>

1. स्कूल तथा कॉलेजों में जाकर साइबर क्राइम संबंधी प्रेजेंटेशन के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के संबंध में जागरूक करना तथा छात्रों को साइबर वालंटियर बना कर उन्हें इस अभियान में शामिल करना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सक ।

2. व्यापार मंडल, उद्योग बंधु, सर्राफा व्यापारियों की मीटिंग लेकर उन्हें जागरूक करना तथा उनके मध्य साइबर क्राइम संबंधी पम्पलेट तथा बुकलेट वितरित करना जिससे वो साइबर ठगी का शिकार न हों तथा अपने अन्य साथियों को भी इस दिशा में जागरूक कर सकें।

3. उपरोक्त पीपीटी तथा बुकलेट के माध्यम से सभी स्टेकहोल्डर्स को प्रेजेंटेशन देकर साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना, पैम्पलेट्स तथा कार्ड वितरित करना।

4. पुलिस ऑफिस, थाना, तहसील तथा अन्य सरकारी दफ्तरों में, बैंक, एटीएम में साइबर क्राइम जागरूकता संबंधी पैम्पलेट्स तथा पोस्टर लगाना तथा ऑफिस आने वाले व्यक्तियों को साइबर ठगी से बचाव हेतु पैम्पलेट्स और कार्ड देना।

5. जनपद के सभी डिजिटल वालंटियर ग्रुप्स में पीपीटी, पैम्पलेट तथा कार्ड सर्कुलेट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साइबर ठगी के सम्बंध में जागरूकता फैलाना।

6. सभी बैंक मैनेजर्स की मीटिंग लेकर उन्हें इस अभियान के बारे में सेंसिटाइज करना तथा बैंक/एटीएम में भी पुलिस द्वारा छपवाए गए पैम्पलेट्स/पोस्टर्स लगाना।

7. सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों/सरकारी कर्मचारियों की गोष्ठी कर प्रेजेंटेशन तथा पैम्पलेट के माध्यम से उन्हें विभिन्न प्रकार के साइबर ठगी से बचाव हेतु जागरूक करना।

8. गांव में चौपाल लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर ठगी/बैंक फ्रॉड से बचाव हेतु जागरूक करना।

<u>प्रेस नोट</u>

साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 27.11.2024

साइबर अपराध से बचाव के लिये पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में प्रारम्भ किया व्यापक जागरूकता अभियान ऑपरेशन "साइबर कवच"

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। यह ऑपरेशन आज दिनांक 27.11.2024 से एक सप्ताह तक चलाया जाना है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी देंगे और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित किये जाने तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज अभियान के पहले दिन पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा 'सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल' में छात्र-छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्कशाप में क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक थाना को० देहात, प्रभारी साइबर सेल व स्कूल के छात्र व स्टाफ आदि सहित करीब 250 छात्र व अध्यापक मौजूद रहे। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर "साइबर कवच" अभियान का शुभारम्भ किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। इसी क्रम में ATM बूथ में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे OTP, CVV नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से

लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने सभी छात्र-छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित स्कूल के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.11.2024
यातायात माह नवम्बर 2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा ''सड़क सुरक्षा माह'' के तहत गीता इंटरनेशनल स्कूल गोण्डा के छात्र/छात्राओं को यातायात नियमो का पालन करने हेतु किया गया जागरूक–

आज दिनांक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत गीता इंटरनेशनल स्कूल के छात्र/छात्राओं को यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया तथा उपस्थित छात्र/छात्राओं व विद्यालय के स्टाफ को यातायात नियमो का पालन करने हेतु संकल्प दिलाया गया तथा भविष्य में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। महोदय द्वारा उपस्थित सभी लोगो को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटना के दौरान मस्तिष्क/सिर में गंभीर चोटे आने से बचा जा सकता है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित छात्र/छात्राओं व विद्यालय के स्टाफ को यातायात नियमों के पालन कराने/करने का संदेश दिया गया–

01. दो पहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी द्वारा हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
02. नाबालिग बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
04. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें या बायें मुड़ते समय हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंट न करे।
09. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
10. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफलेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे/मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

मीडिया सेल गोण्डा।